



(06)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य ध्वस्त करने हेतु नोटिस)

पत्रांक: 9152 / वाद सं० सी-1282/एस-सेलाकुई/2023

दिनांक: 6/3/2024

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री अरुण प्रकाश भट्ट/हितबद्ध व्यक्ति, मुख्य चकराता रोड, सेलाकुई बाजार, विकासनगर देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति/स्वीकृति प्राप्त किये उपरोक्त स्थल पर लगभग 30 गुणा 100 फिट के क्षेत्रफल में लोहे के पाईपों की सहायता से टीनशेड का निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-1282/एस-सेलाकुई/2023 योजित किया गया था। उक्त समस्त अनाधिकृत/चालाशुदा निर्माण को दिनांक 19.03.2024 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
म०दे०वि०प्रा०, तहसील विकासनगर,
जनपद-देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
- पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को सील से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।




उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
म०दे०वि०प्रा०, तहसील विकासनगर,
जनपद-देहरादून।